

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना - पत्र	47/25	27/2/25		17/3/25

अनवान

श्री शंवरलाल पिता केला श्री सौरभ पिता केला
निवासी विजौलिया निवासी विजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री S. K. J. श्री _____

न्याया साहो
ना या यता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

तारीख दायर 27/2/25

प्रकरण संख्या :- 47/25

भंवरलाल पिता केला खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी
बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
.....प्रार्थी

1. सौराम पिता केला खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
2. गोपाल पिता केला खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
3. नरेन्द्र पिता भंवरलाल खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
4. रमेश पिता गोपी रेगर जाति रेगर उम्र व्यस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:--आदेश:- 24/3/25

दिनांक :- 24/3/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी भंवरलाल खटीक ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 371 पर स्थित आराजी संख्या 184, 185, 186 कुल किता 3 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भुमि, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं। अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 371 पर स्थित आराजी संख्या 184, 185, 186 कुल किता 3 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
(राज०)

प्रकरण संख्या :- ५७/२५

तारीख दायर २७/२/२५

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ५७/२५

पत्थरगढी बाबत।

भंवरलाल पिता केला खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी
बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०

.....प्रार्थी

1. सौराम पिता केला खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
2. गोपाल पिता केला खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
3. नरेन्द्र पिता भंवरलाल खटीक जाति खटीक उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
4. रमेश पिता गोपी रेगर जाति रेगर उम्र व्यस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या ३७१ पर स्थित आराजी संख्या १८४, १८५, १८६ कुल किता ३ रकबा ०.५६६६ हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~२५००/-~~ ^{२५००/-} देना कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट २० दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ